

भूमि उपयुक्तता प्रमरण पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-93 (अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड) के किमी 85.700 से किमी 100.372 तक दो लेन चौड़ीकरण में 7.4226 है० संरक्षित वन भूमि का वनेत्तर प्रयोग निहित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार 15.00 है० अवनत भूमि के प्राक्कलन के अनुसार अलीगढ़ प्रभाग के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-93 के किमी 85.700 से किमी 100.372 तक के विरुद्ध क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त का चयन किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्तानुसार चयनित स्थल वृक्षारोपण हेतु प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

- 1- उक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल वृक्षारोपण प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है।
- 2- प्रस्तावित क्षेत्र में वनीकरण हेतु अन्य योजना में बजट की उपलब्धता नहीं है।
- 3- प्रस्तावित क्षेत्र नदी के बाढ़ के स्तर से काफी ऊपर है तथा बाढ़ या जलभराव से मुक्त है।
- 4- तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अतिक्रमण व किसी भी प्रकार के ऋण भार या विधिक अर्चन से मुक्त है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़
Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh